## कायालय उपखण्ड आधेकारी, चिंडावा

क्रमांक/राजस्व/ 92/15

## संपरिवर्तन आदेश

दिनांकः ..... 295711

रघु बाल निकेतन शिक्षा समिति मण्ड्रेला जरिये सचिव राजेश कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति जाट, निवासी साखन ताल, तहसील राजगढ़, जिला चूरू राजस्थान में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी

10	गराष्ट्या नाच दा गइ ह:-	, जाता है, जिल्ला	
1			
	सहित तथा पूरा पता		
	The state of the s	राजारः प्रभार पत्र बर्जाएग लाल जानि नार वि	
2.		साखन ताल, तहसील राजगढ़, जिला चूरू राजस्थान	
4.	הווים וויים	नहीं	
-	भग रावस्य ह		
3.	A THE STATE OF THE		
100	(क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम		
No.	(ख) भूमि का खनं और प्रत्येक खसरा संख्या का	ग्राम मण्डेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं	
	क्षेत्रफल (हैक्टेंयर में)	खसरा नं. 938/2/1 रकबा 0.2350 है।	
	(ग) प्रत्येक स्वयंग्य नंत्राच		
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	खसरा नं, 938 / 2 / 1 रकता 0 2350 के के के	
-	हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	वर्ग मीटर	
lii 🖁	टिप्पणी:— अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दः से सत्यापित प्रति संलग्न है।	श्राति हुये राज्यत जन्मे के क	
Pagis.	स सत्यापित प्रति संलग्न है।	भाग इन राजारप नपरा क सुसानत भाग को सम्यकरूप	
4	सपरिवर्तन का प्रयोजन		
5	चालान की संख्या तथा तारीख	शैक्षणिक	
6	चालान की संख्या तथा तारीखं सहित शास्ति यदि कोई	चालान सं. 14 दिनांक 28.05.15 राशि 37,885/- रूपये	
	हो की जमा कराई गई रकम	नहीं	
7	जाना ने नं		
-	चालान की संख्या तथा तारीखक सहित ब्याज यदि	YI-31	
	कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य	
8	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन	As The second se	
11/19/	णारा किया गया है।	नहीं -	
9	अन्य कोई विशिष्ठियां यदि कोई हो		
10	उपर्युक्तं संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन	नहीं का का का का	
	1: सार्यक्त अस्त्री मुनालाखत शता के अध्यक्षीन		
	तिस किया अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमिक	जिस्योग विहित प्राधिकारी की एवं अन्यक्ति -	
	1: उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमिका उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमित प्राप्त किया		
11000	2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालाअविध के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।		
-02 100	ालय भूम का उपयाग करने में विफल रहता है तो 3	निज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और क	
	कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।	जार अधिदक द्वारा जमा	
7	3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमिका उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग		
	4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी	भाग ता अञ्च किसी कार्या मार्ग	
#10	विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुजा प्राप्त किये बिना 5. इण्डियन रोड कांग्रेस दारा किश्रीव समान	नहीं किया उपयोग	
5. इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी छोड़कर			
	े जायेगा।	क्य पर मध्य स । नधारित दूरी छोड़कर निर्माण किया	
	<ol> <li>निकटस्थ नगरपालिका / ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।</li> <li>राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेश / परिपन्न एवं</li> </ol>		
1			
1	दिशा-निर्देशों की पालना के लिए आवेदक वाध्य होगा।	रकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश /परिषय पर	
	<ol> <li>शैक्षणिक, निर्माण, 60:40 नियमों के अनुसार किया जावेगा</li> </ol>	mad Value and Va	
es juliy	पुरा । १००नच । गयना क अनुसार किया लावेगा	1 2200 - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
		The state of the s	

क्रमांक/राजस्व/ 9 2 15 333-33-6 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. तहसीलदार/उप-पंजीयक चिडावा।

ु उपखण्ड अधिकारी िहासा, विज्ञावा . <sub>विज्ञा</sub>

दिनांकः ७९-५-१

कमाक/शाजस्व/116/17

## संपरिवर्तन आदेश

रघु बाल निकंतन शिक्षा समिति मण्डेला जिर्थे सचिव राजेश कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति जाट, निवासी सांखन ताल, तहसील राजगढ, जिला घूरू राजस्थान में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान मू राजस्थान में स्थारित के लिये आवेदन किया है। अता आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्थान भू राजस्थान के संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अता आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्थ

लिए संपरिवर्तन किया जाता है. जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है-	<b>《一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</b>		
1 आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम रघु बाव सहित तथा पूरा पता राजेशा साखन	निकंतन शिक्षा समिति मण्डेला जरिये सचिव तुमार युत्र बजरंग लाल, जाति जाट, निवासी ताल, तहसील राजगढ, जिला चूक राजस्थान		
थया आयेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं सदस्य है।			
3 संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा:-			
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का ख. नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का खसरा न क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	ला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं 951/2/1 रकबा 0.1600 है0		
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये खसरा स संपरियर्तन क्षेत्रफल (हैक्टयर या वर्गमीटर में) भीटर	. 951/2/1 रकबा 0.1800 हैं <b>0 में से 1100 वर्ग</b>		
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।			
4 संपरिवर्तन का प्रयोजन शैक्षणिक			
5 चालान की संख्या तथा तारीख चालान स	220 दिनाकं 16.03.17 राशि 156,815 / - रूपये		
6 चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो नहीं की जमा कराई गई रकम	The state of the s		
ग्री वालान की संख्या तथा तारीखक सहित ब्याज यदि कोई सून्य हो की जमा कराई गई रकम			
8 वया आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधिन <b>न्हीं</b> जारी किया जाता है।			
<ul> <li>अन्य कोई विशिष्ठिया यदि कोई हो</li> </ul>			
10 जपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निस्नलिखित शर्ती के अध्यधीन होगा:-			
2 गरि आवेदर का प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	2 यदि आवेटक दस गारेश के जारि को निकार		
लिये भूमि का उपयोग करने में विषय प्रकार के 5 वर्ष की			
केराया प्राप्तिमा वाच क्यान्य के			
1 JUH-4 N POT Stille 10.			
4 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये विना नहीं किया जायेगा।			
जावेगा।			
		6. निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।	
<ul> <li>राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं</li> <li>शैक्षणिक निर्माण 60:40 नियमों के अनुसार किया जावेगा।</li> </ul>			

कमोक / राजस्व /116/17 /431-435 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ (य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

तहसीलदार/उप-पंजीयक चिडावा।

2 सरपंच प्राम पंचायत मण्डूला।

उ रमु बाल निकेतन शिक्षा समिति मण्डेला जरिये सचिव राजेश कुमार पुत्र बजरंग लाल जाति जाट

्र जपप**ल्डिश्मकारी** चिड़ावा, जिलाश्म झुंझुनूं (राज.) दिनाक 1743

विडावा जिल